रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022020-216463
CG-DL-E-28022020-216463

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26, 2020/फाल्गुन 7, 1941
No. 121] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2020/PHALGUNA 7, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 141(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 134ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), ईमेल: jspb-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर वाहन (... ... .. संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित)-

I. नियम 139 के पश्चात् .....निम्नलिखित अध्याय शामिल किया जाना है-

"अध्याय VI ए - नेक व्यक्ति की जांच और पूछताछ

नियम 139ए- नेक व्यक्ति के अधिकार

(1) ऐसा व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 134ए के अनुसार नेक व्यक्ति है, के जो अधिकार होंगे उनका ब्यौरा इस अध्याय में निहित हैं और उनके साथ किसी भी धार्मिकता, राष्ट्रीयता, जातिगत या लैंगिकता के आधार पर भेदभाव किए बगैर सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा।

(2) एक नेक व्यक्ति, जिसने दुर्घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया है या जो सड़क दुर्घटना के पीड़ित को अस्पताल ले गया है, को पुलिस या अस्पताल द्वारा आगे की किसी भी आवश्यकता के लिए रूकने को विवश नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत स्थान छोड़ने की अनुमति होगी।

(3) कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई अन्य व्यक्ति, नेक व्यक्ति को उनका नाम, परिचय, पता या इस प्रकार का अन्य व्यक्तिगत ब्यौरा बताने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

बशर्ते कि नेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम, पता और घायल व्यक्ति (अगर जानने वाला) का नाम पुलिस अधिकारी को बता सकता है।

बशर्ते कि इसके अतिरिक्त, यदि नेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम या व्यक्तिगत विवरण बताता है, तो पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को मामले का चश्मदीद गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा और चश्मदीद गवाह बनने का विकल्प पूरी तरह से नेक व्यक्ति पर निर्भर करेगा।

(4) वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में निहित होने के बावजूद, एक नेक व्यक्ति, जो किसी दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है, को निम्नलिखित के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा:

(क) चिकित्सीय-कानूनी प्रपत्र के प्रयोजनार्थ सहित कोई भी व्यक्तिगत ब्यौरा जैसे उसका नाम, टेलीफोन नंबर और पता बताने के लिए;

(ख) घायल व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल करवाने के लिए संबंधित किसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए; या

(ग) किसी घायल व्यक्ति के उपचार का चिकित्सीय व्यय वहन करने के लिए।

बशर्ते कि यदि नेक व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपना नाम बताया है और यदि वह ऐसा करने की मंशा जाहिर करता है, तो अस्पताल अपने आधिकारिक पत्र में ऐसे नेक व्यक्ति का नाम, पता, दुर्घटना का समय, तिथि, स्थान और यह पुष्टि करते हुए कि घायल व्यक्ति को उपर्युक्त व्यक्ति द्वारा लाया गया था, के रूप में अभिस्वीकृति प्रदान करेगा।

बशर्ते कि इसके अतिरिक्त एक नेक व्यक्ति, जो दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी है और स्वेच्छा से चश्मदीद गवाह बनाना चाहता है, तो वह जांच प्रक्रिया में सहायता के लिए अपने नाम और पते के अलावा चश्मदीद गवाह बनने की मंशा भी प्रकट कर सकता है।

(5) प्रत्येक अस्पताल को प्रवेश या सुस्पष्ट स्थान पर हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में एक अधिकार-पत्र सार्वजनिक करना होगा, जिसमें इस अधिनियम और इस नियम के तहत नेक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बताया गया हो।

नियम 139बी- नेक व्यक्ति की जांच और पूछताछ

(1) वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी असंगतता के बावजूद, यदि कोई व्यक्ति ऐसे मामले में स्वेच्छा से प्रत्यक्षदर्शी बनने को सहमत है, जिसमें उसने एक नेक व्यक्ति की भूमिका अदा की है, तो उसकी जांच पड़ताल इस नियम के प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी।

(2) नेक व्यक्ति की पूछताछ उनकी सुविधानुसार समय और स्थान, जैसे उनके आवास या कार्य के स्थान, पर की जाएगी और तदनुसार जांच अधिकारी सादे कपडों में होंगे।

बशर्ते कि नेक व्यक्ति अपनी जांच पड़ताल पुलिस थाने में करवाने का चयन कर सकता है और ऐसे मामले में, पूछताछ बिना किसी अनुचित विलंब के समयबद्ध तरीके से और जहां तक संभव हो एक बार में ही पूरी की जाएगी।

(3) यदि नेक व्यक्ति स्वेच्छा से चश्मदीद गवाह बनना चाहता है, तो उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 296 के अनुरूप उनका साक्ष्य शपथ-पत्र पर देने की अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते कि पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां तक संभव हो पूछताछ के दौरान एक ही बार में नेक व्यक्ति का पूरा बयान या शपथ-पत्र दर्ज किया जाए।

(4) मामले की परिस्थितियों के अंर्तगत यदि नेक व्यक्ति अनुचित विलंब, व्यय या असुविधा के बिना उपस्थित नहीं हो सकता अथवा उसकी जांच पड़ताल उसकी सुविधानुसार समय और स्थान पर किया जाना संभव नहीं होता है, तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट आपराधिक प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 284 के तहत इसके अंतर्गत किए गए आवेदन पर जांच पड़ताल के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकती है"।

[फा. सं. आरटी-16011/1/2015-आरएस]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-धारा (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या..... दिनांकित.....द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2020

G.S.R. 141(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 134A of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section **(1)** of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email jspb-morth@gov.in Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government,

Draft Rules

1. Short Title and commencement.-(I) These rules may be called the Central Motor Vehicles (..... Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereafter referred as the said rules).-

I. After Rule 139, the following chapter to be included-

"Chapter VIA- Examination and Questioning of Good Samaritan

139A-Rights of Good Samaritan:-

(1) Any person who is a Good Samaritan, as per Section 134A of the Act, shall have the rights detailed under this chapter, and shall be treated respectfully without any discrimination on the grounds of religion, nationality, caste or sex.

(2) A Good Samaritan who has informed the police of any accident involving a motor vehicle, or who has transported a victim of an accident involving a motor vehicle to the hospital, shall not be subjected to any further requirements by the police or the hospital, and shall be permitted to leave immediately.

(3) No police officer, any other person, shall compel a Good Samaritan to disclose his/her name, identity, address or any such other personal details.

Provided that the Good Samaritan may voluntarily choose to disclose his/her name, address, and name of the injured person (if known) to the police officer.

Provided further that, if the Good Samaritan has voluntarily disclosed his/her name or personal details, the police officer shall not compel such person to become an eye-witness in the case, and choice of becoming an eye-witness shall solely rest with the Good Samaritan.

(4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a Good Samaritan who transports a victim of an accident involving a motor vehicle to the hospital shall not be forced to:

(a) disclose any personal information, such as his/her name, telephone number and address, including for the purpose of the Medico-Legal Case Form;

(b) fulfill any procedure related to the admission of an injured person or victim at the hospital; or

(c) bear any medical expenses towards the treatment of an injured person or victim.

Provided that in case the Good Samaritan has volunteered to provide the name, and if he/she so desires, the hospital shall provide an acknowledgement to such Good Samaritan, on official letter-pad, mentioning the name of the Good Samaritan, address, time, date, place of occurrence, and confirming that the injured person was brought by the said person.

Provided further that a Good Samaritan who has witnessed the accident and volunteers to become an eye-witness may, in addition to his name and address, also indicate his willingness to become an eye-witness in order to facilitate the investigation process.

(5) Every hospital shall publish a charter in Hindi, English and vernacular language, at the entrance or other conspicuous location, stating the rights of Good Samaritans under the Act and this rule.

139B- Examination and Questioning of Good Samaritans-

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, if a person has voluntarily agreed to become a witness in the case in which he/she has acted as a Good Samaritan, he/she shall be examined in accordance with the provisions of this rule.

(2) The examination of a Good Samaritan shall be conducted at a time and place of his/her convenience, such as his place of residence or business, and the investigating officer shall accordingly be dressed in plain clothes.

Provided that the Good Samaritan may choose to have his examination done at the police station, and in such case, the examination shall be conducted in a time bound manner without causing undue delay, and as far as possible, completed in a single examination.

(3) In case the Good Samaritan has volunteered to become an eye-witness, he/she shall be permitted to give the evidence on affidavit in accordance with Section 296 of the Code of Criminal Procedure 1973.

Provided that the police officer shall ensure that the complete statement or affidavit of the Good Samaritan shall as far as possible be recorded in a single examination.

(4) In case the attendance of a Good Samaritan cannot be procured without delay, expense or inconvenience, which under the circumstances of the case would be unreasonable, or the examination is unable to take place at a time and place of his convenience, the Court of Magistrate may appoint a commission under Section 284 of the Code of Criminal Procedure, 1973 to conduct the examination, on an application made thereunder."

[F.No. RT-16011/1/2015-RS]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number….dated…..

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.02.28 22:59:23 +05'30'